

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/47/12 /

जबलपुर, दिनांक 10/08/2021

II-13-36/19

श्री विजय कुमार वाघ, रिकार्ड सप्लायर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-इंदौर को दिनांक 16/06/2021 से 29/06/2021 तक 14 दिवस का सेवानिवृत्ति पूर्व अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति
महोदय के आदेशानुसार

सही / -

(राजेन्द्र कुमार वाणी)

रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक B/47/13 /

जबलपुर, दिनांक 10/08/2021

II-13-36/19

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-इंदौर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक/अवकाश/1162 इंदौर, दिनांक 16/06/2021 के संदर्भ में श्री विजय कुमार वाघ, रिकार्ड सप्लायर का अवकाश आवेदन पत्र एवं अवकाश लेखा मूलतः वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।
2. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट, (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
4. सहायक अवकाश, स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(प्रियदर्शन शास्त्री)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)